31.3.23 पत्रावली पेश हुई। TOR लोगों के संबंध में पालना Report आख्या प्राप्त हो
गई है तदानुसार कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः
पत्रावली निस्तारित करार की जाकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 23 / 2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

यशोदाबाई पुत्री नन्दा पत्नी कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद हाल निवासीनी भैरूपुरा पोस्ट कंवरपुरा मंड तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान। – वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादिनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

स0 नई 15 पुरानी 14 के खसरा न0 346 की 0.72 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 0.72 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादिनी का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 90 पुरानी 16 के खसरा न0 347 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 349 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 351 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 451 की 0.25 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.16 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 91 पुरानी 16 के खसरा न0 16 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 17 की 0.08 हैक्टर, 183 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 19 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 21 की 0.48 हैक्टर, खसरा न0 251 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 255 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 260 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 261 की 0.21 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.07 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादिनी वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में निहित अपने हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी वादिनी ने अपने हिस्से की आराजी पर फसल बो रखी है। साथ ही वादिनी ने यह भी निवेदन किया कि वादिनी ने आज से करीब एक माह पूर्व अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवायी तो वादिनी की जानकारी में आया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का घर का नाम कमोदरी पुत्री नन्दा दर्ज कर रखा है। उक्त नाम वादिनी का घर का बोलता नाम है, जिसे राजस्व रेकार्ड में घर परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज करवा दिया था, जबकि वादिनी का वास्तविक नाम यशोदाबाई पुत्री नन्दा है। वादिनी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज होने से वादिनी को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से भी वंचित होना पड

प्रमाणित प्रतिलिपि

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

रहा है तथा नाम गलत दर्ज होने से भविष्य में वाद कारिता होने की काफी संभावना है, किसान केडिट कार्ड व अन्य वित्तीय सरकारी सहायता से भी वंचित होना पड रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि को दुरस्त किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। यही वाद की विषय वस्तु भी है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई, जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद से कोई राजहित प्रभावित नही होने तथा पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। वादिनी द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार छीतरलाल व स्वतन्त्र गवाह छोटूलाल मीणा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

बहस वकील वादिनी सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, पटवारी रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 15 पुरानी 14 के खसरा न0 346 की 0.72 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 0.72 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 90 पुरानी 16 के खसरा न0 347 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 349 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 351 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 451 की 0.25 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.16 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 91 पुरानी 16 के खसरा

कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE COPYING FEES ONLY
प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

न0 16 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 17 की 0.08 हैक्टर, 183 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 19 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 21 की 0.48 हैक्टर, खसरा न0 251 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 255 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 260 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 261 की 0.21 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.07 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम कमोदरी के स्थान पर यशोदाबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

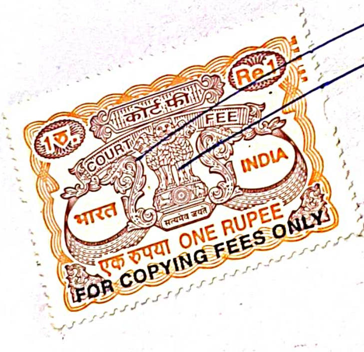

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 23/2022

तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

यशोदाबाई पुत्री नन्दा पत्नी कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद हाल निवासीनी भैरूपुरा पोस्ट कंवरपुरा मंड तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान। – वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 15 पुरानी 14 के खसरा न0 346 की 0.72 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 0.72 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 90 पुरानी 16 के खसरा न0 347 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 349 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 351 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 451 की 0.25 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.16 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 91 पुरानी 16 के खसरा न0 16 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 17 की 0.08 हैक्टर, 183 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 19 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 21 की 0.48 हैक्टर, खसरा न0 251 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 255 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 260 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 261 की 0.21 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.07 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम कमोदरी के स्थान पर यशोदाबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक–2022/384 दिनांक–7/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 48/22 उनवान यशोदा बाई बनाम राज. सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 48/22 उनवान यशोदा बाई बनाम राज. सरकार के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सांगोद, जिला- कोटा

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

48/22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/787 दिनांक– 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 23/2022 उनवान यशोदा बाई पुत्री नन्दा / राज सरकार में जारी डिक्री दिनांक 09/3/22 की पालना में ग्राम इकलेरखेड़ा में नामान्तरकरण सं. 277 दिनांक 16/6/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

[ग्राम] का नाम :- हनुवतखेड़ा
[पटवार] हल्का :- लबानिया
[भू.अभि.नि.] :- लटूरी
[तहसील] :- साँगोद
[जिला] :- कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 91
खाता संख्या पुराना :- 16

[काश्त]कार का नाम:-
1. [छी]तर पुत्र नारायण हिस्सा- 3/8 जाति- बेरवा सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा. न. 139,193 शुद्धि पत्र सं.2,3
[बा]हिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकलां
2. नट्टी पुत्री नारायण हिस्सा- 1/4 जाति- बेरवा सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा. न. 139,193 शुद्धि पत्र सं.2
3. रायचन्द पंवार पुत्र लूणाराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेघवाल सा.सुवाला तहसील शिव जिला बाड़मेर खातेदार
4. सुनीता कुमारी बेरवा पत्नि मुकेश कुमार बैरवा हिस्सा- 1/4 जाति- बेरवा सा. बपावरकला ख़ातेदार
[बा]हिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Bapawar Kalan,

[खस]रा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
6	0.5500	चाही सोयम	0.5500	12.10		स्वीक्रत नामांतरकरण : 262 10/12/2021 बेचान	
7	0.0800	चाही सोयम	0.0800	1.76		स्वीक्रत नामांतरकरण : 274 22/04/2022 रहननामा	
83	0.0300	गै.मु. खलियान	0.0300			स्वीक्रत नामांतरकरण : 277 16/06/2022 न्याया. आदेश	
9	0.5500	चाही सोयम	0.5500	12.10		स्वीक्रत नामांतरकरण : 279 21/11/2022 बेचान	
21	0.4800	चाही सोयम	0.4800	10.56			
51	0.0400	चाही सोयम	0.0400	0.88			
55	0.0900	खेड़ा दोयम	0.0900	1.17			
60	0.0400	खेड़ा दोयम	0.0400	0.52			
61	0.2100	चाही सोयम	0.2100	4.62			
[कुल] खसरे - 9	2.0700		2.0700	43.7100			

[य]ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
[इस]का उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

NIC

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- हनुवतखेड़ा
पटवार हल्का :- लबानिया
भू.अभि.नि. :- लटूरी
तहसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 15
खाता संख्या पुराना :- 14

काश्तकार का नाम:-
1. श्रीतर पुत्र नारायण हिस्सा- 1/2 जाति- बेरवा सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.192 शुद्धि पत्र सं.2
सहित हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकलां
2. महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा- 1/3 जाति- धोबी सा. सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां खातेदार
3. रायचन्द पंवार पुत्र लूणाराम हिस्सा- 1/6 जाति- मेघवाल सा.सुवाला तहसील शिव जिला बाड़मेर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
46	0.7200	चाही सोयम	0.7200	15.84		स्वीकृत नामांतरकरण : 220 20/06/2019 विरासत स्वीकृत नामांतरकरण : 236 26/06/2020 रहननामा स्वीकृत नामांतरकरण : 250 09/07/2021 रहनमुक्त स्वीकृत नामांतरकरण : 251 05/10/2021 बेचान स्वीकृत नामांतरकरण : 277 16/06/2022 न्याया. आदेश स्वीकृत नामांतरकरण : 279 21/11/2022 बेचान	
कुल खसरे - 1	0.7200		0.7200	15.8400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC